भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2770

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाएं

2770. श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री अमर शरदराव कालेः
श्री संजय दीना पाटिलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सम्पूर्ण देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निर्मित और निर्माणाधीन नई विद्युत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में महाराष्ट्र में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा क्या है और अब तक उनके योगदान की अनुमानित अतिरिक्त क्षमता कितनी है;

(ग) विचाराधीन नई विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है:

(घ) क्या समय पर पूरा होने और लागत को कम करने को सुनिश्चित करने के लिए नई विद्युत परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा सरकारी-निजी भागीदारी का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार अल्पसेवित क्षेत्रों में परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए विद्युत आपूर्ति में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि विशेषकर शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में भावी विद्युत की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए नई विद्युत परियोजनाएं पर्याप्त हों;

(छ) आगामी पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा की कमी, रोजगार और आर्थिक विकास के संबंध में नई विद्युत परियोजनाओं के संभावित प्रभाव के संबंध में आंकड़े क्या हैं; और

(ज) नई विद्युत परियोजनाओं के विकास में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार का उनसे किस प्रकार निपटने का विचार है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रक्रियाधीन नई विद्युत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

ईंधन	चरण	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (गीगावाट में)	लागत (करोड़ रु.)
कोयला और लिग्नाइट	निर्माणाधीन	22	29.2	2,81,450
	बोली प्रक्रिया के अंतर्गत	10	12.2	1,01,784
	योजना के अंतर्गत	30	39.3	3,27,929
हाइड्रो	निर्माणाधीन	33	20	1,75,097
	बोली प्रक्रिया के अंतर्गत	01	.09	900
	योजना के अंतर्गत	15	10.14	101400
न्यूक्लियर	निर्माणाधीन	4	7.3	1,29,908*
	स्वीकृति प्राप्त	-	7.0	
सौर/पवन	निर्माणाधीन	-	140.5	6,32,520
	बोली प्रक्रिया के अंतर्गत	-	84.2	3,79,305

* संशोधन के अंतर्गत

राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर है।

(ख) : महाराष्ट्र में दो पंप्ड भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी)- भिवपुरी (1,000 मेगावाट) और भवाली (1,500 मेगावाट) को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से सहमति मिल गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए वर्तमान में नौ पीएसपी का सर्वेक्षण और जांच (एस एंड आई) की जा रही है। दिनांक 31-10-2024 तक, भुसावल में एक ताप विद्युत परियोजना, यूनिट-6 (660 मेगावाट), कार्यान्वयनाधीन है और जनवरी 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, दो कोयला आधारित विद्युत संयंत्र- कोराडी (2×660 मेगावाट) और चंद्रपुर (800 मेगावाट) की योजना बनाई जा रही है।

(घ) : भारत सरकार ने अपना राजपत्र अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 22 अक्टूबर 1991 के द्वारा विद्युत क्षेत्र (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) में स्वचालित मार्ग से 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(ङ), (च) और (छ) : दिसंबर 2022 में, केंद्र सरकार ने विद्युत नियमों को अधिसूचित किया, जिसके तहत वितरण लाइसेंसधारियों को 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ तैयार करने की आवश्यकता है। राज्य आयोगों को संसाधन पर्याप्तता पर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विनियम जारी करने और अनुपालन की समीक्षा करने, आवश्यकतानुसार गैर-अनुपालन के लिए दंड देने का अधिकार है। इसके हिस्से के रूप में, सीईए संसाधन पर्याप्तता योजनाओं की तैयारी में राज्यों की सहायता कर रहा है।

सीईए के पास देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की आवश्यकता के बारे में आंकड़े एकत्र करने का एक सुदृढ़ तंत्र है और इसके अनुसार विद्युत परियोजनाओं की योजना बनाई जाती है। इसके अलावा, पांच क्षेत्रीय विद्युत समितियां (आरपीसी) हैं जो घटक राज्यों की विद्युत आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करती हैं।

सीईए के अनुसार, देश की अधिकतम विद्युत मांग वर्ष 2030 तक लगभग 345 गीगावाट तक पहुँचने का अनुमान है। इस मांग को पूरा करने के लिए, संस्थापित क्षमता को मौजूदा 442 गीगावाट (वित्त वर्ष 2024 तक) से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 777 गीगावाट किया जाना है। इस विस्तार में 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता शामिल है। संस्थापित क्षमता में भंडारण के अलावा न्यूक्लियर, जलविद्युत, सौर, पवन, कोयला और लिग्नाइट स्रोतों से प्राप्त क्षमताएँ शामिल हैं।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2022-27 के दौरान 211 गीगावाट क्षमता वृद्धि के लिए अनुमानित 1,50,970 लोगों की आवश्यकता होगी, जिसमें 1,15,480 तकनीकी कार्मिक और 35,490 गैर-तकनीकी

कार्मिक शामिल होंगे। इसी तरह, वर्ष 2027-32 के दौरान 291 गीगावाट क्षमता वृद्धि के लिए अनुमानित 2,27,400 लोगों की आवश्यकता होगी, जिसमें 1,74,210 तकनीकी और 53,190 गैर-तकनीकी कार्मिक शामिल होंगे।

इन नई विद्युत परियोजनाओं से देश की विद्युत की मांग पूरी होने तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर भारत की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

(ज): नई विद्युत परियोजनाओं के विकास में निम्नलिखित सामान्य चुनौतियाँ आती हैं:

(i) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के मुद्दे
(ii) पर्यावरण और वन मंजूरी में देरी
(iii) कानून और व्यवस्था के मुद्दे
(iv) संविदा संबंधी मुद्दे और मुकदमेबाजी, और
(v) कुशल कार्यबल की उपलब्धता।

इसके अतिरिक्त, भूगर्भीय आकस्मिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएँ और अंतर-राज्यीय विवाद जलविद्युत परियोजनाओं के लिए प्रमुख चुनौतियाँ हैं। पर्याप्त कोयला लिंकेज हासिल करने में देरी, साथ ही रेलवे लाइनों और साइडिंग में बाधाएँ, कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए बाधाएँ पैदा करती हैं। न्यूक्लियर परियोजनाओं के लिए, प्रमुख चुनौतियों में रिएक्टरों की उच्च अग्रिम लागत, नियामक बाधाएँ, उपयुक्त भूमि की उपलब्धता और आयातित न्यूक्लियर ईंधन पर निर्भरता शामिल हैं।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र लागू किया है। सीईए साइट विजिट और विकासकर्ताओं के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है ताकि विकट मुद्दों का समाधान किया जा सके। विद्युत मंत्रालय अंतर-मंत्रालयी बाधाओं का समाधान करने और लंबित मामलों के समाधान को सुगम बनाने के लिए राज्य एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, परियोजना के महत्वपूर्ण पहलुओं को सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच वार्षिक समझौता ज्ञापन में शामिल किया जाता है, जिसकी प्रगति की समीक्षा तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों के दौरान की जाती है। परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पोर्टल सक्रिय शासन के लिए मासिक परियोजना समीक्षा को सक्षम बनाता है। पीएमजी पोर्टल लंबित मुद्दों को उजागर करता है, जिससे विकासकर्ता पीएमजी पोर्टल के माध्यम से समाधान के लिए अपनी शंकाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इन तंत्रों का उद्देश्य विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और इसमें शामिल चुनौतियों को दूर करना है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 2770

अनुबंध-I

निर्माणाधीन तापवद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ताप विद्युत		
	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मेगावाट में)	लागत (करोड़ रु. में)
बिहार	2	1980	17901
छत्तीसगढ	2	2400	25321
हरियाणा	1	800	6900
झारखंड	2	3060	24082
मध्य प्रदेश	2	3200	29634
महाराष्ट्र	1	660	6350
ओडिशा	2	3720	39057
तमिलनाडु	3	3440	39679
तेलंगाना	1	4000	34543
उत्तर प्रदेश	5	5280	53416
पश्चिम बंगाल	1	660	4567
कुल	**22**	**29200**	**281450**

पीएसपी सहित जलविद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्माणाधीन			डीपीआर पर सहमति			सर्वेक्षण और अन्वेषण*	
	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता	लागत	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता	लागत	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता
आंध्र प्रदेश	4.0	3740.0	24639.5				14.0	15850.0
अरुणाचल प्रदेश	2.0	4880.0	53123.9	14.0	13798.0	116300.0	7.0	17606.0
असम	1.0	120.0	2450.5					
छत्तीसगढ़							2.0	1800.0
गुजरात							6.0	3940.0
हिमाचल प्रदेश	9.0	2446.0	28352.5	4.0	937.0	8291.6		
जम्मू एवं कश्मीर	5.0	3051.5	22848.6	4.0	3119.0	29800.1	2.0	1060.0
कर्नाटक	1.0	2000.0	6709.6				2.0	1900.0
केरल	2.0	100.0	1150.0				1.0	800.0
लद्दाख							1.0	95.0
मध्य प्रदेश				1.0	1920.0	11834.5	1.0	640.0
महाराष्ट्र				2.0	2500.0	15410.3	9.0	16700.0
मेघालय				1.0	85.0	965.4	2.0	270.0
नागालैंड				1.0	186.0	1994.7		
ओडिशा				1.0	600.0	3394.5	1.0	500.0
पंजाब	1.0	206.0	3929.9					
राजस्थान							4.0	6160.0

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्माणाधीन			डीपीआर पर सहमति			सर्वेक्षण और अन्वेषण*	
	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता	लागत	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता	लागत	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता
सिक्किम	2.0	620.0	6686.3	1.0	520.0	3594.7		
तमिलनाडु	1.0	500.0	3523.4					
उत्तर प्रदेश							7.0	13020.0
उत्तराखंड	4.0	2264.0	20300.5	3.0	815.0	4318.2	1.0	660.0
पश्चिम बंगाल	1.0	120.0	1381.8	1.0	1000.0	4234.9	1.0	90.0
कुल	**33.0**	**20047.5**	**175096.6**	**33.0**	**25480.0**	**200138.8**	**61.0**	**81091.0**

*परियोजनाओं के शुरू होने की समयसीमा और लागत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने पर निर्धारित की जाती है।

निर्माणाधीन न्यूक्लियर परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य	क्षेत्र	परियोजना	क्षमता	संस्वीकृत लागत
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीपी-7 एवं 8	(मेगावाट)	(करोड़ रुपये में)
तमिलनाडु	कुडनकुलम	केकेएनपीपी-3 एवं 4	2x700 मेगावाट	12,320*
		केकेएनपीपी-5 एवं 6	2x1000 मेगावाट	39,849**
	कलपक्कम	पीएफबीआर#	2x1000 मेगावाट	49,621
हरियाणा	गोरखपुर	जीएचएवीपी-1 एवं 2	1x500 मेगावाट	7,524@

* 22924 करोड़ रुपये तक संशोधन के अंतर्गत** 68893 करोड़ रुपये तक संशोधन के अंतर्गत

@ 6840 करोड़ रुपये की संस्वीकृत लागत के अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा आयोग ने अंतरिम व्यय के लिए 684 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया।

****